

## सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	मार्च 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8667	854	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1684	2	--	-
3	असम	3981	57	--	-
4	बिहार	5832	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4890	--	1	-
6	गोवा	623	314	--	4608
7	गुजरात	5090	502	--	-
8	हरियाणा	807	1261	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	800
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	288	--	--	-
12	कर्नाटक	6045	--	--	-
13	केरल	2248	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	959	--	-
15	महाराष्ट्र	43978	660	--	-
16	मणिपुर	162	105	--	4000
17	मेघालय	755	43	9	-
18	मिज़ोरम	367	47	--	-
19	नगालैंड	1720	35	--	-
20	उड़ीसा	11694	1523	88	-
21	पुदुचेरी	307	--	--	11665
22	पंजाब	1146	--	8	807
23	राजस्थान	--	--	129	-
24	तमिलनाडु	6937	--	40	2000
25	तेलंगाना	5920	1292	--	17414
26	त्रिपुरा	388	9	--	-
27	उत्तराखंड	970	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3410	134	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9300	608	214	-
	<b>कुल</b>	<b>127208</b>	<b>8405</b>	<b>668</b>	<b>41293</b>

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं